

# कार्यालय— अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

## कार्यालय—आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16/17(ख) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति अनुरूप शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत वैटरिनरी फार्मसिस्टों के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

### वैटरिनरी फार्मसिस्ट

#### अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अस्थिवि
1	श्री हेमन्त बड़थवाल	प०चि० पाबौ, पौड़ी गढ़वाल	रा०प०चि० विकासनगर, देहरादून	निजि अनुरोध
2	श्री चुनराज सिंह	प०चि० जहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल	रा०प०चि० बहादुराबाद, हरिद्वार	निजि अनुरोध
3	श्री भवानी शंकर	रा०प०चि० बीरौखाल, पौड़ी	सचल पशु चिकित्सालय, टिहरी गढ़वाल	निजि अनुरोध
4	श्री विरेन्द्र सिंह रावत	प०चि० विकासनगर, देहरादून	रा०प०चि० नन्दप्रयाग, चमोली	निजि अनुरोध
5	श्री उत्तम कुमार	प० चि० जखोली, रुद्रप्रयाग	रा०प० चि० रामपुर, रुद्रप्रयाग	निजि अनुरोध
6	श्री जगदीश लाल खत्री	प०चि० चौरिया भरदार, रुद्रप्रयाग	रा०प०चि०सुमाड़ी भरदार, रुद्रप्रयाग	निजि अनुरोध

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/- (डा० अशोक कुमार)  
अपर निदेशक।

प०सं० 1221

प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/स्थाना०-वै०फार्मे०/2022-23 दिनांक 09.07.2022  
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
  - 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
  - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग।
  - 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
  - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा० अशोक कुमार)  
अपर निदेशक।